

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक 189/19/आउशि/छा/2019  
प्रति,

भोपाल दिनांक 8/2/19

प्राचार्य शास. गीताजंली कन्या पी.जी. महाविद्यालय भोपाल  
प्राचार्य शास. पी.जी. महाविद्यालय पिपरिया (होशंगाबाद)  
प्राचार्य शास. नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद

विषय:- एकीकृत छात्रवृत्ति के अन्तर्गत स्नातकोत्तर योग्यता/स्नातक योग्यता छात्रवृत्ति के सत्र 2018-19 की नवीनीकरण की राशि का आवंटन में स्वीकृत करने बाबत ।

संदर्भ:- क्षेत्रीय अति. संचालक उच्च शिक्षा भोपाल होशंगाबाद संभाग भोपाल का पत्र क्रमांक 161-163/अस/छा./19 दि० 30.1.19

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के माध्यम से एकीकृत छात्रवृत्ति स्नातकोत्तर योग्यता/ स्नातक योग्यता के नवीनीकरण हेतु राशि रुपये 55,000/-की मांग की है ।

2. अतः स्नातकोत्तर योग्यता के लिये राशि रुपये 40,000/- (रुपये चालीस हजार मात्र) स्नातक योग्यता के लिये राशि रुपये 15,000/-(रुपये पन्द्रह हजार मात्र) कुल योग राशि रुपये 55,000/-(रुपये पचपन हजार मात्र) की स्वीकृती प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-2019 में नवीनीकरण के लिये राशि निम्नलिखित शीर्ष में विकलनीय होगी :


क्र	आहरण संचालक अधिकारी प्राचार्य	लेखा शीर्ष	आवंटित राशि सत्र 2017-18
1.	शास. गीताजंली कन्या महावि. भोपाल	मौग संख्या 44-उच्च शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (107) छात्रवृत्तियों -0103 (3064) योग्यता छात्रवृत्तियों (41) छात्रवृत्तियों एवं वृत्तियों-002	स्नातकोत्तर योग्यता 15,000/- स्नातक योग्यता 6,000/-
2	शास. पी.जी. महावि. पिपरिया	मौग संख्या 44-उच्च शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (107) छात्रवृत्तियों -0103 (3064) योग्यता छात्रवृत्तियों (41) छात्रवृत्तियों एवं वृत्तियों-002	स्नातकोत्तर योग्यता 20,000/- स्नातक योग्यता 9,000/-
3	शास. नर्मदा महावि. होशंगाबाद	मौग संख्या 44-उच्च शिक्षा 2202 सामान्य शिक्षा (03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (107) छात्रवृत्तियों -0103 (3064) योग्यता छात्रवृत्तियों (41) छात्रवृत्तियों एवं वृत्तियों-002	स्नातक योग्यता 5,000/-
कुल योग			55,000/-

(रुपये पचपन हजार मात्र)

निरंतर-2

//2//

उक्त स्वीकृति राशि संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी प्राचार्य, शास.गीतांजली कन्या पी.जी. महावि. भोपाल/प्राचार्य, शा. पी.जी. महावि. पिपरिया/ प्राचार्य, शा. नर्मदा महावि. होशंगाबाद (म0प्र0) द्वारा छात्रवृत्ति के देयक कोषालय में प्रस्तुत कर आहरित करेंगे । क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा भोपाल हाशंगाबाद संभाग भोपाल एवं उक्त संबंधित प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेश/निर्देश के अनुक्रम में भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, अधिक भुगतान की स्थिति में संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे । विद्यार्थी को छात्रवृत्ति के भुगतान के पूर्व उनके बैंक खातों की आधार सीडिंग की कार्यवाही किया जाना अनिवार्य है ।


  
(डॉ० सुषमा दुबे)  
संचालक(वित्त)

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश  
भोपाल दिनांक 21/11/19

पृष्ठांकन क्र. (90/19/आउशि/छा/2019

प्रतिलिपि:-

- 1 महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.।
2. कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।
3. कोषालय अधिकारी, संबंधित कोषालय मध्यप्रदेश ।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा भोपाल होशंगाबाद संभाग भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 161-163/अस/छा./19 दि० 30.1.19 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
4. संचालक (बजट) उच्च शिक्षा संचालनालय, की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उपर्युक्त राशियों को उक्त तालिका के कालम 2 में उल्लेखित प्राचार्य शास. गीतांजली कन्या पी.जी. महाविद्यालय भोपाल/प्राचार्य शास. पी.जी. महाविद्यालय पिपरिया (होशंगाबाद)/ प्राचार्य शास. नर्मदा महाविद्यालय होशंगाबाद,म.प्र. के खाते में राशि अपलोड कराने का कष्ट करें ।
5. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, की ओर इस आशय से कि कृपया आदेश बैबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।

  
संचालक(वित्त)  
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश